This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 25 अक्तूबर, 2023 / 03 कार्तिक, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

मत्स्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अक्तूबर, 2023

संख्या : फिश–ए (3)–2 / 2014.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल

प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य, ग्रुप–बी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, ग्रुप–बी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र / ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 06 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, वर्ग–II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
सचिव (मत्स्य पालन)।

————————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश, मत्स्य पालन विभाग में सहायक निदेशक, मत्स्य, वर्ग– II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––सहायक निदेशक मत्स्य

2. **पद (पदों) की संख्या**.––11 (ग्यारह)

3. **वर्गीकरण**.––गुप–बी

4. **वेतनमान.––(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान**.––हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन), नियम, 2022 के अनुसार पद के टाईम स्केल (समयमान) से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)–13.

(ii) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.––**हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत।

5. **पद ''चयन'' है या '' अचयन''.––**चयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.––**18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से स्नातकेत्तर ऐसोसिएट डिप्लोमा।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से मत्स्य पालन प्रबन्धन एवं विकास में न्यूनतम तीन वर्ष का पश्चअहर्ता अनुभव।

या

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0)

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से मत्स्यपालन प्रबन्धन एवं विकास में कम से कम पांच वर्ष का पश्चअहर्ता अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं).––जैसी नीचे दिए गए स्तम्भ 11 के सामने विहित की गई है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) सीधी भर्ती / प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः

(1) सड़सठ (67) प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और

(2) तैंतीस (33) प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––वरिष्ठ मत्स्य अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जो प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में विज्ञान स्नातक, की मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता रखते हों जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मलित कर तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु सहायक निदेशक मत्स्य के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित ग्यारह बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :–

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और दसवां	प्रोन्नति द्वारा
तीसरा, छठा, नौंवा और ग्यारहवां	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणः––जब समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ हो ।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. जिला लाहौल एवं स्पीति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :–

(i) उप–मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहॉ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएँगे ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा / समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने सशस्त्र बल में आपातकाल की अवधि के दौरान पदग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.––विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**––अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक मत्स्य को रुपए 27600/– प्रतिमाह की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो, तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू (लेवल) स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ (60 प्रतिशत) होगी, संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

(क) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.––संविदा भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(V) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलगन परिशिष्ट– के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक मत्स्य को रुपए 27600/– प्रतिमाह की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू (लेवल) स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत, के बराबर होगी, संदत की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी

दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि, अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि, के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्य को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रख जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**––सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धा) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट–II

सहायक निदेशक मत्स्य और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री..... .....निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् '**प्रथम पक्षकार**' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् '**द्वितीय पक्षकार**' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... ..... को किया गया।

द्वितीय 'पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक मत्स्य के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** सहायक निदेशक, मत्स्य के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रु0 27600/– रुपए प्रतिमास (जो, नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत होगी)/होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे पारित की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉच दिन के विशेष अवकाश का हकदार

होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि उपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगाः

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कही प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रख जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** व **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....

.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....

.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1. .....
.....

(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fish-A (3)-2/2014 dated 13-10-2023 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th October, 2023

No. Fish-A (3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director of Fisheries, Group-B in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Assistant Director of Fisheries, Group-B, Recruitment and Promotion Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette of Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.— (1) The Himachal Pradesh Department of Fisheries, Assistant Director of Fisheries, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016 notified *vide* this Department notification of even number dated 6th May, 2016 and published in the Rajpatra(e-Gazette) Himachal Pradesh dated 17-5-2016 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
Secretary (Fisheries).

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR, FISHERIES, CLASS-II (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES, HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of Post**.—Assistant Director of Fisheries

2. **Number of Post(s).—**11 (Eleven)

3. **Classification.—**Group-B

4. **Scale of Pay.—**(i) *Pay Scale for regular incumbent(s).*— Level-13 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

   (ii) *Emoluments for contract employee(s).*—60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. **Whether "Selection post or "Non- Selection Post".—** Selection.

6. **Age for direct recruitment.—**Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her adhoc or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as

admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S):

(i) Master's degree in Zoology or Fisheries from a recognized University or Post Graduate Associate Diploma of the Central Institute of Fisheries Education Bombay.

(ii) Minimum three years post qualification experience in Management and development of Fisheries from recognised Institute/ University.

OR

(i) B.Sc in Zoology or Fisheries Science from any recognized University.

(ii) Minimum five years post qualification experience in Management and Development of Fisheries from recognised Institute/ University.

.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).— *Age* : Not applicable

Educational Qualification(s): As prescribed against Column No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—(i) Direct Recruitment/ Promotion :

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:

(i) 67% by promotion ; and

(ii) 33% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11.—In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Fisheries Officers possessing recognized educational qualification of B.Sc. in Zoology or Fisheries Science with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade :

Provided that for filling up the posts of Assistant Director of Fisheries the following 11 points roster shall be followed :-

Roster Points No.	Category
1st, 2nd, 4th, 5th,7th, 8th & 10th	Promotee
3rd, 6th, 9th, & 11th	Direct recruitment.

Note.—As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult/ hard areas and remote /rural areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/ rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in case of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/ rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/ remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

1. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under :—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/ Tehsil Headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of The Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(i) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into

account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recuitment & Promotion Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental/ Confirmation Promotion Committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member, thereof, to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be 'a Citizen of India'.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceeded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A.—Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy, the Assistant Director of Fisheries in Department of Fisheries, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewal/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary (Fisheries) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission .

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :

The Assistant Director of Fisheries appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs. 27600/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Fisheries) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

(a) For posts falls within the purview of HPPSC**.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recuiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceeded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission/ other recruting agency/authority as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Assistant Director, Fisheries will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 27600/- per month (which shall be equal to 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will also not be applicable to contract appointee (s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Appendix-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Director of Fisheries and the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt./Km.....s/o/d/o.....Shri.....r/o..... .....contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY). The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Assistant Director, Fisheries** on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Assistant Director, Fisheries** for a period of 1 year commencing on day of.....and ending on the day of .....It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.....and information notice shall not be necessary:

   Provided that for the extension/renewal of contract period the HOD will issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 27600/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre of employees appointed/working on a regular basis).

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/

her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. .....

   .....

   .....
   (Name and Full address)

2. .....

   .....

   .....
   (Name and Full address) (Signature of the FIRST PARTY)

1. .....

.....

.....
(Name and Full address)

2. .....

.....

.....
(Name and Full address) (Signature of the SECOND PARTY)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमाः तस्दीक इंतकाल

श्री रमेल सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी महाल मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

श्री संजय कुमार पुत्र श्री रमेल सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासी मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), श्री विपन कुमार पुत्र श्री रमेल सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासी मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), श्रीमती रंजना देवी पुत्री श्री रमेल सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासी मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री रमेल सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासी मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व आम जनता।

अनुसार रिपोर्ट क्षेत्रीय अभिकरण श्री रमेल सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, महाल मत्याल कलां, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के बरासत का इंतकाल नंबर 288, महाल मत्याल कलां, इ0नं0 344, महाल मत्याल खुर्द, इ0नं0 548, महाल रुपेहड़, इ0नं0 424, महाल खुह वरासत बरुये वसीयत पंजीकरण संख्या 18 / 2020, दिनांक 12–10–2020, सब रजिस्ट्रार चढियार, दिनांक 09–08–2023 को दर्ज होकर बराये फैसला लम्बित है। श्री संजय कुमार, श्री विपन कुमार, श्रीमती रंजना देवी, श्रीमती माया देवी मृतक रमेल सिंह पुत्र होशियार सिंह के जायज वारसान हैं। मुताबिक वसीयत रमेल सिंह मृतक हाल ने अपना मकान व मकान की जमीन (स्थित महाल मत्याल कलां) अपने छोटे बेटे विपन कुमार के नाम कर दी तथा अन्य तमाम सम्पत्ति उक्त मकान को छोड़ कर अपने दोनों बेटों संजय कुमार व विपन कुमार के नाम भाग बराबर कर दी है। इंतकाल हजा में कुछ फ्रीकैन बावजूद इत्तलाह हाजर न आ रहे हैं।

अतः उपरोक्त समस्त फ्रीकैनों को बजरिया मुनादी / इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त इंतकाल के तस्दीक हेतु दिनांक 25–10–2023 को दोपहर 2.00 बजे उप–तहसील कार्यालय चढ़ियार में स्वयं या अधिकृत व्यक्ति द्वारा हाजर आकर उजर / एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में

आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी व इंतकाल मुताबिक वसीयत तस्दीक कर दिया जायेगा व कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 13–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 24 / N / 2023 तारीख पेशी : 26–10–2023.

श्रीमती काया देवी पुत्री स्व0 श्री राज कुमार, निवासी गांव कोहाला, डा0 कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थिया श्रीमती काया देवी पुत्री स्व0 श्री राज कुमार, निवासी गांव कोहाला, डा0 कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने मय कौंसल विनोद कुमार इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 08–01–1956 को गांव कोहाला, डा0 कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत कोटलू को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त काया देवी की जन्म तिथि 08–01–1956 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26–10–2023 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त काया देवी के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कोटलू को पारित कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13–10–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बर : 26 / 2023 तारीख पेशी : 25–10–2023

तारीख दायर : 12–10–2023

श्रीमती सरला सकलानी पुत्री श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्रीमती सरला सकलानी पुत्री श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम श्रीमती सरला सकलानी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में उसका नाम सरला दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम श्रीमती सरला उर्फ सरला सकलानी दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25–10–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन–पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बर : 27 / 2023 तारीख पेशी : 25–10–2023

तारीख दायर : 12–10–2023

श्री कृष्ण चन्द ठाकुर पुत्र श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्री कृष्ण चन्द ठाकुर पुत्र श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम श्री कृष्ण चन्द ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में उसका नाम कृष्ण कुमार दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण चन्द ठाकुर दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25–10–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन–पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बर : 25 / 2023 तारीख पेशी : 25–10–2023

तारीख दायर : 12–10–2023

श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्रीमती जैवन्ती, निवासी गांव भद्राणू, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम श्रीमती मीना कुमारी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में उसका नाम

श्रीमती मीना देवी दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल धलारा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम श्रीमती मीना देवी उर्फ मीना कुमारी दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25–10–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन–पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।